

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/6443-6516

दिनांक: 4-10-13

आदेश संख्या: 293 /2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 30 के अन्तर्गत निम्नांकित लेखाकारों को कार्यभार संभालने की दिनांक से 6 माह अथवा उनकी सेवानिवृत्ति तिथि या विभागीय पदोन्नति समिति से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने तक जो भी पहले हो, पूर्णतः आवश्यक अस्थाई आधार पर सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1 के पद पर वेतन श्रृंखला (पी.बी.2) 9300-34800 ग्रेड-पे (रुपये 4800/-) में एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	लिक नं०	नाम लेखाकार (सर्वश्री)	प्रवर्ग	जन्म तिथि	विशेष विवरण
1.	1159	कैलाश चन्द शर्मा		14.10.59	
2.	609	वीरेन्द्र कुमार शर्मा		30.10.60	
3.	2862	वजहूल कमर		05.12.55	
4.	621	बिहारी लाल		02.08.57	
5.	1937	ओम कुमार थानवी		04.09.61	
6.	8583	गोर्धनश्याम गुप्ता		05.06.58	
7.	8614	गिरिराज व्यास		10.09.61	
8.	1797	मोहन लाल प्रजापत		05.04.60	
9.	1801	मोहन लाल		01.05.57	
10.	507	अशोक कुमार काटेड		05.08.61	
11.	3023	विनोदकुमार		10.07.57	
12.	943	रूपलाल काबरा		05.01.54	
13.	1069	रामेश्वर लाल यादव		18.05.56	
14.	8689	हरिवल्लभ ओझा		22.03.60	
15.	1100	रमाकान्त शर्मा		02.07.60	
16.	8866	महेन्द्र सिंह		20.07.57	
17.		जगदीश खत्री		31.10.64	
18.	1754	घनश्याम दास		20.06.55	
19.	3158	दिनेन्द्र बी.दवे		08.07.61	
20.	3707	शिवजी लाल गुप्ता		21.08.56	
21.	5140	सूरज भान	अजजा	26.03.68	
22.	4464	बाबू लाल धोबी	अजा	03.07.65	
23.	4813	ओमप्रकाश देवडा	अजा	01.10.55	
24.	8425	जगमोहन बैरवा	अजा	01.07.66	
25.	3934	नरेश कुमार चौहान	अजा	04.12.59	
26.	4517	बद्री लाल बैरवा	अजा	10.07.56	
27.		रामकेश मीणा	अजजा	17.05.65	
28.	5175	ठाकरसीदास मीणा	अजजा	01.07.65	
29.	2125	रामअवतार मीणा	अजजा	08.07.65	
30.	9004	अमरसिंह मीणा	अजजा	05.08.68	
31.		मोहर सिंह मीणा	अजजा	04.07.65	
32.		सीताराम मीणा	अजजा	01.06.70	
33.	2332	रामूलाल मीणा	अजजा	11.08.63	

34.	3542	कंचन मीणा	अजजा	30.07.66	
35.	4470	बनवारी लाल मीणा	अजजा	01.07.71	

उपर्युक्त अधिकारी पदोन्नति के फलस्वरूप अपने वर्तमान पदों पर इन पदों के अस्थाई रूप से यथा आवश्यकता क्रमोन्नत मानते हुए कार्यग्रहण कर अग्रिम आदेशों तक यथावत कार्यरत रहेंगे। यह पदोन्नति निम्नांकित शर्तों के अध्वधीन की जाती है:-

1. यह पदोन्नति पूर्णतया अस्थाई/ अविलम्बनीय आधार पर अग्रिम आदेश होने तक बिना किसी नियमित पदोन्नति का कोई अधिकार प्रदत्त किये, दी जाती है।
2. जिस पद से पदोन्नति दी गई है उस पद पर कभी भी पदावनति की जा सकेगी।
3. इस आवश्यक अस्थाई पदोन्नति से किसी भी प्रकार की वरिष्ठता का लाभ देय नहीं होगा।
4. इस प्रकार की पदोन्नति से किसी भी उच्च पद पर नियमित पदोन्नति में पात्रता एवं वरिष्ठता सम्बन्धी लाभ भी देय नहीं होगा और वरिष्ठता में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
5. आवश्यक अस्थाई पदोन्नति नियमित पदोन्नति की मांग का आधार नहीं होगी और न ही नियमित पदोन्नति हेतु कोई अधिकार प्रदत्त होगा।
6. आवश्यक अस्थाई पदोन्नतियां केवल नियमित पदोन्नतियों से पदोन्नत राजसेवक उपलब्ध होने तक ही मान्य होगी, इसके उपरान्त इनका अस्तित्व स्वतः ही समाप्त हो जायेगा।
7. इन तदर्थ पदोन्नतियों से आरक्षण कोटा किसी भी तरह प्रभावित नहीं होता है।
8. यदि कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक, आपराधिक अथवा भ्रष्टाचार इत्यादि के प्रकरण में दण्ड अधिनिर्णित हो जाए अथवा न्यायालय द्वारा कर्मचारी के पक्ष में निर्णय पात्रता, दक्षता एवं योग्यता के आधार पर न होकर तकनीकी आधार पर शासन की दृष्टि में माना गया हो और उस निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील करने अथवा विभागीय जाँच यथास्थिति करने का निर्णय सक्षम नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश प्रसारित करने की तिथि से समाप्त समझी जावेगी/ हो जावेगी।

उक्त आदेश वित्त (राजस्व) विभाग के पत्रांक प.2(1)वित्त/राजस्व/2013 जयपुर, दिनांक 18.09.2013 एवं प.2(15)वित्त/राजस्व/10 दिनांक 30.09.2013 के अनुसरण में जारी किये जाते हैं।

(वीरबाला जोशी)
निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/6443-6516

दिनांक: 4/10/13

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
2. विभागाध्यक्ष/ कार्यालयाध्यक्ष.....
3. श्री लेखाकार, कार्यालय
4. उपनिदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
5. सहायक निदेशक, अलेसे द्वितीय।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।

(के.एम. मीणा)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- II)